चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/808
दिनांक : 3/6/09

सचिव,
एस0डी0 कालेज ऑफ लॉ,
मुजफ्फरनगर

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या सम्ब0–246/सत्तर–2–2008–2(456)/2008, दिनांक 29.08.2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन **एस0डी0 कालेज ऑफ लॉ, मुजफ्फरनगर** को **एल0एल0–बी0 (पांच वर्षीय)** पाठ्यक्रम (160 सीट) में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तो के अधीन दिनांक 01.07.2008 **से सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है :–

1. महाविद्यालय द्वारा बार काउन्सिल ऑफ इण्डिया की मान्यता प्राप्त करने के पश्चात ही छात्रों को प्रवेश प्रदान किया जायेगा तथा बार कौंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का पालन किया जायेगा।
2. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 एवं शासनादेश संख्या–4108/सत्तर–2–2007–2(494)/2007, दिनांक 17 अक्टूबर, 2007 में उल्लिखित दिशा–निर्देशों एंव इस विषय में समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तो एंव मानकों की पूर्णता एंव उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

माननीय शासन एवं बार कौंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशांनुसार **एस0डी0 कालेज ऑफ लॉ, मुजफ्फरनगर** को **एल0एल0–बी0 (पांच वर्षीय)** पाठ्यक्रम (160 सीट) में स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तो के अधीन दिनांक 01.07.2008 **से सम्बद्धता** की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त पाठयक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :–

1. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।
2. प्रभारी, कमैटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. सचिव, बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, 21, राउज एवेन्यू, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली–2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कुलसचिव